न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02, झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कालूराम, आर.जे.एस.

आपराधिक निगरानी संख्या – 39/2025

C.I.S. No. – 40/2025

C.N.R. No. – RJJH010005202025

1. तौफीक पुत्र यूनुस खां निवासी वार्ड नं. 01, मुकुन्दगढ़ पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनूं
2. अरसद पुत्र सलेमुदीन निवासी वार्ड नं. 02, मुकुन्दगढ़ पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनूं
3. असलम पुत्र बल्लू खां निवासी वार्ड नं. 02, मुकुन्दगढ़ पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनूं

.... निगरानीकारान

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, झुंझुनूं
2. सुगन सिंह पुत्र शिवलाल सिंह निवासी जांटवाली पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनूं

... गैर निगरानीकार

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विरूद्ध आदेश दिनांकित 18.02.2025 पारित द्वारा न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) नवलगढ़ बमुकदमा राजस्थान राज्य बनाम तौफीक अली मुकदमा नंबर 35/2024 अंतर्गत धारा 126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

उपस्थितिः–

1. श्री हरिप्रसाद सैनी – अधिवक्ता निगरानीकारान की ओर से

2. श्री नंदकिशोर शर्मा – अपर लोक अभियोजक गैर निगरानीकार संख्या 01 की ओर से।

3. गैर निगरानीकार संख्या 02 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

–आदेश–

दिनांकः– 18 जुलाई, 2026

1. निगरानीकारान तौफीक एवं अन्य की ओर से यह निगरानी न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) नवलगढ़ (जिसे आदेश में आगे विद्वान विचारण न्यायालय के नाम से संबोधित किया जाएगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 35/2024 उनवानी राजस्थान राज्य बनाम तौफीक अली अंतर्गत धारा 126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पारित आदेश दिनांकित 18.02.2025 से व्यथित होकर माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, झुन्झुनू के समक्ष पेश की गई, जहां से अंतरित होकर यह निगरानी याचिका इस न्यायालय को प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर की गई।

2. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आलौच्य आदेश दिनांक 18.02.2025 पारित करते हुए निगरानीकारान को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिससे व्यथित होकर निगरानीकारान की ओर से निगरानी याचिका पेश की गई।

3. निगरानीकारान की ओर से यह निगरानी याचिका इन आधारों पर पेश की गई है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2025 को पत्रावली व विधि के सिद्धांतों के प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में इस्तगासा अपूर्ण जांच के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में गंभीर भूल की गई है। थानाधिकारी की ओर से इस्तगासे में निगरानीकारान एवं गैर निगरानीकार संख्या 02 के मध्य लड़ाई झगड़ा होने संबंधी अवयव इस्तगासे में अंकित नहीं किए गए हैं तथा मौके की जांच किए बिना

इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश में सूचना का सार अंकित नहीं किया गया है एवं धारा 130 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की पालना नहीं की गई है। अतः निगरानीकारान की निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 18.02.2025 को अपास्त किया जावे।

4. गैर निगरानीकार संख्या 02 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

6. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकारान की ओर से तर्क दिए गए कि प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय की ओर से जो निगरानीकारान के तलबी नोटिस दिनांक 18.02.2025 को जारी किए गए हैं, वह विधिक प्रक्रिया के विपरीत जारी किए गए हैं। विचारण न्यायालय द्वारा किसी रूप में अपने आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, ना ही अपने आदेश में एवं ना ही प्रसारित सम्मन में सूचना का सार अंकित किया गया है। विचारण न्यायालय की ओर से पारित आदेश दिनांकित 18.02.2025 विधिक प्रक्रिया के अनुरूप जारी नहीं किया गया है। लिहाजा विचारण न्यायालय के आलौच्य आदेश दिनांक 18.02.2025 को अपास्त किया जावे।

7. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से तर्क दिए गए कि प्रकरण में निगरानीकारान की ओर से गलत कारण बताते हुए नोटिस जारी किए जाने के आदेश के विरूद्ध निगरानी याचिका पेश की गई है। विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 18.02.2025 अंतर्वर्ती आदेश की श्रेणी में आता है। आलौच्य आदेश दिनांक 18.02.2025 अंतर्वर्ती आदेश की श्रेणी में आने के कारण उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी याचिका पोषणीय नहीं है। अतः निगरानीकारान की याचिका खारिज की जावे।

8. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण की पत्रावली एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित

विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया। इस निगरानी याचिका के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह उद्भुत होता है –

> "क्या विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2025 को पारित आदेश अशुद्ध, अवैध एवं औचित्यहीन होने एवं विचारण न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक अनियमितता बरतने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है? ''

9. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में आलौच्य आदेश एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करें तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2025 के आदेश के द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ की ओर से धारा 126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परिवाद पेश करने पर प्रकरण के निगरानीकारान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

10. धारा 438(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग अन्तर्वर्ती आदेश की बाबत नहीं किया जाएगा। उक्त धारा दण्ड प्रकिया संहिता धारा 397(2) के समानार्थी धारा है। धारा 397(2) दण्ड प्रकिया संहिता के सदर्भ में कौनसा आदेश अन्तर्वर्ती आदेश है, इस तथ्य को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विनिश्चय **Amar Nath and others Vs State of Haryana and others 1977 AIR(SC) 2185** में इस प्रतिपादना के साथ स्पष्ट किया है किः–

> **.....It seems to us that the term "interlocutory order" in S. 397 (2) of the 1973 Code has been used in a restricted sense and not in any broad or artistic sense. It merely denotes orders of a purely interim or temporary nature which do not decide or touch the important rights or the liabilities of the parties. Any order which substantially affects the rights of the accused, or**

decides certain rights of the parties cannot be said to be an interlocutory order.....

11. इस विनिश्चय में प्रतिपादित मतानुसार ऐसा कोई आदेश जो किसी पक्षकार के महत्वपुर्ण अधिकार या दायित्व को अंतिम रूप से निस्तारित नहीं करता या छुता नहीं, वह आदेश अंतर्वर्ती आदेश की श्रेणी में आता है।

12. धारा 126 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्यवाही हेतु संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 130 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत संबंधित व्यक्ति को कारण दर्शित करने के लिए विशिष्ट विवरण के साथ लिखित आदेश देगा और यदि वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है तो उसे आदेश पढकर सुनाया समझाया जावेगा और यदि वह व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो उसे समन या वारंट जारी किया जावेगा और इस प्रकार संबंधित व्यक्ति के उपस्थित आने या सामने लाये जाने पर धारा 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आवश्यक जांच की जावेगी।

13. धारा 126 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना अंतर्वर्ती आदेश है या नहीं, इस विधिक स्थिति का अवलोकन करे तो इस धारा की समानार्थी धारा 107 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत जारी कारण बताओं नोटिस के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय **Sanjeev Kapur vs State (Nct Of Delhi) Crl. M.C. No.2265 of 2010 & Crl. M.A. No.8803 of 2010** निर्णय दिनांक 26 जूलाई, 2010 के मामले में यह मत प्रतिपादित किया गया है किः-

3. In this case, the petitioner was served upon a notice under Section 107/111 Cr.P.C. by Special Executive Magistrate asking him to attend the SEM's Court and to show cause as to why he should not be ordered to execute a surety bond and a personal bond. Whenever a show cause notice is issued, a person is given opportunity to reply to show cause notice and to put up his case

as to why it was not necessary to call him to SEM's court and why it was not necessary for him to execute a bond of keeping peace.

4. Show cause notice is a purely interlocutory order and I consider that the learned Additional Sessions Judge rightly dismissed the revision.

14. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायिक विनिश्चय **Bindbasni And Ors. vs State Of U.P. 1976 CRILJ 1660** के मामले में यह मत प्रतिपादित किया है किः–

12. To sum up the propositions laid down by the above authorities, the test in determining the final or interlocutory nature of an order is one and the same both in civil as well as criminal cases. That test is whether or not the order in question finally disposes of the rights of the parties or leaves them to be determined by the Court in the ordinary way. If the order does not finally dispose of the rights of the parties and the matters in dispute and leaves the suit or case still alive suit in which the rights of the parties have to be determined, the order will remain interlocutory irrespective of the stage at which it is passed and also irrespective of the conclusive decision of the subordinate matters with which i deals. Applying this test to an order passed by a Magistrate under Sections 107/ 111, Cr. P.C. that order is nothing but interlocutory because it is passed when the Magistrate is of opinion that the information received by him to the effect that any person was likely to commit breach of peace or to disturb public tranquillity etc. was credible. Acting upon that information the

> **Magistrate simply calls upon the person concerned to show cause why he should not be bound down in the prescribed manner. Neither right of the parties are decided at that stage nor the matter in dispute is finally disposed of. That order is simply procedural in nature. It only gives a notice to the party concerned that there is such and such allegation against him and he should turn up before the Magistrate to clarify his position. Even the correctness of the information received by the Magistrate is not finally decided at that stage nor it is decided whether or not the party concerned should be bound down. Those points are to be decided when the case reaches the stage of Section 116, Cr. P.C.**

15. उपरोक्त विनिश्चयों में प्रतिपादित मतानुसार धारा 107 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत जारी कारण बताओं आदेश अन्तर्वर्ती आदेश है। ऐसी स्थिति में धारा 107 दण्ड प्रकिया के समानार्थी धारा 126 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कार्यवाही के लिए जारी कारण बताओं नोटिस अन्तर्वर्ती आदेश की श्रेणी में आने योग्य आदेश है।

16. प्रकरण में निगरानीकारान को विद्वान विचारण न्यायालय की ओर से केवल मात्र कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध निगरानीकारान/गैरसायलान विचारण न्यायालय के समक्ष नोटिस का जवाब दर्ज करवा सकते थे, लेकिन निगरानीकारान की ओर से सीधे ही इस न्यायालय में विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध निगरानी पेश की गई है, जो विद्वान विचारण न्यायालय के अंतर्वर्ती आदेश के विरूद्ध होने के कारणों से निगरानी याचिका पोषणीय नहीं है।

17. जब विद्वान विचारण न्यायालय की ओर से न्यायिक प्रक्रिया के दौरान एक अंतर्वर्ती आदेश जारी किया गया है और धारा 438(2)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अंतर्वर्ती आदेश पुनरीक्षण योग्य नहीं है, वहां निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जानी न्यायोचित प्रतीत होती है।

18. परिणामतः निगरानीकारान तौफीक एवं अन्य की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को मुल अभिलेख सहित अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(कालूराम)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02
झुंझुनूं (राज.)

19. आदेश आज दिनांक 18 जुलाई, 2026 को लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(कालूराम)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02
झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.03 12:37:29 IST